Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ए.सी.बी. सवाईमाधोपुर के प्रभारी भैरूलाल मीणा व जिला परिवहन अधिकारी महेश चन्द को 80 हजार रूपये रिश्वत लेते व देते किया गिरफ्तार**
- **आरोपीगण के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, 9 दिसम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय को सवाईमाधोपुर ए.सी.बी. प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस श्री भैरूलाल मीणा के द्वारा अलग–अलग विभागों के अधिकारियों से अपने कार्यालय में ही मासिक रिश्वत बन्धी प्राप्त किये जाने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना पर मुख्यालय द्वारा सतत निगरानी रखी जाकर आज बुधवार को एसीबी की मुख्यालय ईकाई द्वारा ए.सी.बी. सवाईमाधोपुर के प्रभारी भैरूलाल मीणा को 80 हजार रूपये की रिश्वत लेते व रिश्वत देने वाले जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) महेश चन्द को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी मुख्यालय को ए.सी.बी. सवाईमाधोपुर प्रभारी द्वारा अपने कार्यालय में ही अलग–अलग विभागों के अधिकारियों से मासिक बन्धी ली जाकर भ्रष्टाचार करने की सूचना मिल रही थी। इसी क्रम में आज पुख्ता सूचना मिलने पर कार्यवाही करते हुये **अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में जयपुर मुख्यालय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड के नेतृत्व** में उप अधीक्षक श्री मांगीलाल व उनकी टीम द्वारा आज ट्रेप की कार्यवाही करते हुये **सवाईमाधोपुर ए.सी.बी. प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस भैरूलाल मीणा** को उनके कार्यालय में ही **80 हजार रूपये** की रिश्वत बतौर मासिक बन्धी लेते व रिश्वत देने वाले **जिला परिवहन अधिकारी महेश चन्द** को गिरफ्तार किया गया हैं। यह राशि डीटीओ सवाईमाधोपुर द्वारा मासिक रिश्वत बंधी के रूप में दी जा रही थी।

महानिदेशक श्री सोनी ने बताया कि **आरोपीगण के आवास एवं अन्य ठिकानों** पर एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है तथा कार्यवाही के पश्चात् उनके वैध कार्य में एसीबी द्वारा मदद भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है।**

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।